मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2021

क्रमांक एफ ए 3-44/2020/1/पाँच : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयत करदाता द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में जमा एसजीएसटी तथा एकीकृत माल और सेवा कर, 2017 के तहत आईजीएसटी सेटलमेंट के रूप में प्राप्त राशि के आधार पर सर्वाधिक कर जमा करने वाले बड़े करदाताओं को पुरस्कृत करने हेतु राज्य शासन निम्नलिखित योजना बनाती है:-

मध्यप्रदेश भामाशाह पुरस्कार योजना, 2021

I-परिचय

1. यह योजना "**मध्यप्रदेश भामाशाह पुरस्कार योजना, 2021**" के नाम से जानी जाएगी।
2. इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण "**मध्यप्रदेश**" में होगा।
3. इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत करदाता द्वारा केश में जमा एसजीएसटी की राशि तथा आईजीएसटी सेटलमेंट से मध्यप्रदेश राज्य को प्राप्त कर राशि के आधार पर सर्वाधिक कर राशि जमा करने वाले सप्लायर्स को पुरस्कृत किया जायेगा।
4. इस योजना में प्रयोग किये जाने वाले शब्दों और पदों के वहीं अर्थ होंगे जो, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रायोजनों के लिये मान्य होंगे।
5. इस योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 व केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीयत समस्त सप्लायर्स को सम्मिलित किया जाएगा।
6. पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जावेगा।
7. यह योजना इसके प्रकाशन के वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

II-पात्रता

राज्य स्तर पर पुरस्कार दिये जाने हेतु सप्लायर्स की निम्नलिखित पांच श्रेणियाँ होंगी :-

I. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.50 करोड़ रूपये से कम है।

II. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.50 करोड़ रूपये से अधिक, किन्तु 50 करोड़ रूपये से अनधिक है।

III. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 50 करोड़ रूपये से अधिक, किन्तु 500 करोड़ रूपये से अनधिक है।

IV. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 500 करोड़ रूपये से अधिक है।

V. शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) ।

III-पुरस्कारों का विवरण: -

श्रेणी I. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.50 करोड़ रूपये से कम है: -

प्रथम करदाता को :- 1 लाख रूपये नकद एवं "**मध्यप्रदेश के भामाशाह-I**" पदवी का प्रमाण-पत्र ;

द्वितीय करदाता को :- 50,000 रूपये एवं "**मध्यप्रदेश के भामाशाह-II**" पदवी का प्रमाण-पत्र ;

श्रेणी II. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.50 करोड़ रूपये से अधिक, किन्तु 50 करोड़ रूपये से अनधिक है: -

प्रथम करदाता को :- 5 लाख रूपये नकद एवं "**मध्यप्रदेश के भामाशाह-I**" पदवी का प्रमाण-पत्र ;

द्वितीय करदाता को :- 3 लाख रूपये एवं "**मध्यप्रदेश के भामाशाह-II**" पदवी का प्रमाण-पत्र ;

श्रेणी III. ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 50 करोड़ रूपये से अधिक, किन्तु 500 करोड़ रूपये से अनधिक है: -

प्रथम करदाता को :- 7 लाख रूपये नकद एवं "**मध्यप्रदेश के भामाशाह-I**" पदवी का प्रमाण-पत्र ;

द्वितीय करदाता को :- 5 लाख रूपये एवं "**मध्यप्रदेश के भामाशाह-II**" पदवी का प्रमाण-पत्र ;

श्रेणी IV. **ऐसे सप्लायर्स जिनका संबंधित वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 500 करोड़ रूपये से अधिक है: -**

प्रथम करदाता को :- 10 लाख रूपये नकद एवं **"मध्यप्रदेश के भामाशाह-I"** पदवी का प्रमाण-पत्र;

द्वितीय करदाता को :- 7 लाख रूपये एवं **"मध्यप्रदेश के भामाशाह-II"** पदवी का प्रमाण-पत्र ;

श्रेणी V. **शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) :-**

प्रथम करदाता को :- 3 लाख रूपये नकद एवं **"मध्यप्रदेश के भामाशाह-I"** पदवी का प्रमाण-पत्र ;

द्वितीय करदाता को :- 2 लाख रूपये एवं **"मध्यप्रदेश के भामाशाह-II"** पदवी का प्रमाण-पत्र ;

टीप :- 1. उपरोक्त वर्गीकृत पाँच श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में पुरस्कार हेतु चयनित व्यवसायी दूसरी श्रेणी में पुरस्कार का पात्र नहीं होगा।

2. केन्द्र/राज्य के शासकीय विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रम (पी.एस.यू.) केवल श्रेणी (V) के तहत ही विचार में लिए जायेंगे।

IV-चयन प्रक्रिया: -

राज्य स्तर पर उक्त पांच श्रेणियों में सर्वाधिक कर चुकाने वाले व्यवसायी का चयन आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश द्वारा किया जायेगा तथा चयन के निम्नलिखित आधार होंगे: -

क. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के समस्त विवरण पत्र जमा किये गये हों।

ख. मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 अथवा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीयत करदाता द्वारा शासकीय कोष में जमा एसजीएसटी की राशि तथा संबंधित करदाता का आईजीएसटी सेटलमेंट के तहत मध्यप्रदेश राज्य को प्राप्त कर राशि के आधार पर जमा कर की गणना की जावेगी।

ग. जमा राशि का विनिश्चय वाणिज्यिक कर विभाग में जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर किया जायेगा।

घ. राज्य में माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 लागू होने के पश्चात् व्यवसायी कर अपवंचन के किसी प्रकरण में संलिप्त नहीं पाया गया हो।

V-अन्य: -

1. राज्य स्तर पर दिये जाने वाले पुरस्कार की तिथि व स्थान आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा घोषित किया जाकर पुरस्कृत होने वाले सप्लायर्स को संसूचित किया जायेगा।
2. यदि किसी पंजीयत सप्लायर को एक बार किसी एक श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो जाता है तो वह सप्लायर आगामी 5 वित्तीय वर्षों हेतु उसी स्तर पर अथवा उससे निम्न स्तर पर अथवा किसी अन्य श्रेणी में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगा।
3. दिये जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।
4. पुरस्कार राशि उद्येश्य शीर्ष #14 **पारितोषिक पुरस्कार एवं सम्मान** में विकलनीय होगी।
5. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही/ लिये गये निर्णयों/नियमों की व्याख्या के विषय में अथवा अन्य विवाद उत्पन्न होने पर सभी मामलों में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
26/3/21
(आर.पी. श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 3-44/2020/1/पाँच भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर प्रेषित कर निर्देशानुसार अनुरोध हे कि उक्त योजना की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग।
6. समस्त संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्यिक कर विभाग